प्रभारी कम्प्यूटर सेन्टर
(11,139)

अति महत्वपूर्ण/स्मरण पत्र/ईमेल के माध्यम से

प्रेषक,

निदेशक, उ0शि0, उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
   (क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली को छोड़कर)
2. कुलसचिव,
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
   (गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को छोड़कर)

पत्रांक डिग्री विकास/ 537 /2018–19 दिनांक: 27-4-2018

विषय–मा0 उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 (डा0 दिनेश शर्मा) की अध्यक्षता में दिनांक 01–02–2018 को सम्पन्न बैठक में अनुदानित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ उ0प्र0 की मांगो/समस्याओं के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया निदेशालय के पत्रांक डिग्री विकास/17562–87/2017–18 दिनांक 12.2.2018, पत्रांक डिग्री विकास/17777/2017–18 दिनांक 31.3.2018 एवं पत्रांक डिग्री विकास/328–49/2018–19 दिनांक 12.4.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रश्नगत प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार 02 बिन्दुओं पर सूचना प्रेषित किये जाने के संबंध में है। उल्लेखनीय है कि उल्लिखित विषय पर अद्यतन दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली से सूचना प्राप्त है जबकि शेष किसी भी कार्यालय/विश्वविद्यालय से वांछित सूचना अप्राप्त होने के कारण शासन को प्रेषित किया जाना संभव नही हो पा रहा है। अवगत कराना है कि वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु शासन से निरंतर बार–बार स्मरण पत्र प्राप्त हो रहे है अतएव यह स्थिति संतोषजनक नही है। प्रश्नगत प्रकरण में यह अवगत कराना समीचीन होगा कि पूर्व में आपके कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस कार्यालय के पत्र संख्या डिग्री विकास/17547/2017–18 दिनांक 31 जनवरी 2018 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा शासन को संकलित सूचना प्रेषित की गयी थी। आहूत बैठक के

उपरांत विषयगत प्रकरण में शासन को संशोधित सूचना पत्रांक डिग्री विकास/17588/2017–18 दिनांक 12 फरवरी 2018 द्वारा प्रेषित की गयी है तथा शासन ने पुनः निम्नलिखित बिन्दुओं 02 बिन्दुओं पर सूचना की मांग की गयी है–

1. 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में से 272 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित है उनमें ऐसे कितने महाविद्यालय है जो स्थायी मान्यता प्राप्त हैं एवं 05 वर्ष से अनवरत रूप से संचालित है?
2. उक्त महाविद्यालयों में जिनमें 05 वर्ष से स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित है उनमें कुल कितने स्ववित्तपोषित शिक्षक कार्यरत है। उक्त के क्रम में निदेशक, उच्च शिक्षा के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31–01–2018 में दी गयी व्यय–भार की गणना में से समाज कल्याण विभाग द्वारा की गयी प्रतिपूर्ति की धनराशि घटाते हुए शुद्ध व्यय–भार की सूचना उपलब्ध करायें। शासन के पत्र दिनांक 05 अप्रैल 2018 की प्रति पूर्व पत्र के माध्यम से आपको प्रेषित की जा चुकी है।

भवदीय

27.04.18

डा0(एस0पी0 खरे)
संयुक्त निदेशक, उ0शि0
कृते शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा
उ0प्र0, इलाहाबाद
/उसी तिथि को।

पत्रांक डिग्री विकास/937–59

प्रतिलिपिः विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डा0(एस0पी0 खरे)
संयुक्त निदेशक, उ0शि0
कृते शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/13805/शासन विविध 1/2–2013/2018 दिनांकः 08 मई, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति–मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/प्रबंधक, समस्त अनुदानित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि शिक्षा निदेशक के उक्त पत्र के अनुसार तत्काल विश्वविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि पत्र को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड कर दें।

कुलसचिव